न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/16 तारीख दायरा 19.05.2016

अपील संख्या 11/16

1. इमी चन्द पुत्र झण्डा राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
2. कलावती पुत्री झण्डा राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
3. शारदा झण्डा पुत्र राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला त0
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र झण्डा राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
5. जय चन्द झण्डा राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला त0 श्री करणपुर

झण्डा राम उर्फ रिडमल पुत्र राम उर्फ रिडमल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला

––– अपीलांटस

बनाम

1. विमला देवी पत्नी राम कुमार उर्फ राम लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
2. घनश्याम पुत्र श्री राम कुमार उर्फ राम लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
3. श्रवण कुमार पुत्र श्री राम कुमार उर्फ राम लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला
4. उषा देवी पत्नी श्री कालू राम जाति कुम्हार गांव फूसेवाला

––––––––––– रैस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध उप तहसीलदार केसरीसिंहपुर

दिनांक 09.03.16 व 17.03.2016

उपस्थितः– श्री काशी राम रिणवा एडवोकेट अपीलांटस की ओर से

।। निर्णय ।। दिनांक 24/11/17

तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांटस द्वारा उक्त अपीलें पेश कर निवेदन किया कि चक 23 एफ के विभिन्न खातेजात के मुरब्बा नम्बर 20,22,23,28 की मुश्तरका भूमि है। मुरब्बा नम्बर 22 का मौजूदा खाता संख्या 151/128 है इस खाता में बहुत से हिस्सेदार हैं। इस मुश्तरका खाता के विभाजन में मु0नं0 22 के किला नम्बर 1 ता 10 अपीलांटस व अपीलांटस के पिता को विभाजन में मिल गया था जिसे अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिये वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के न्यायालय में वाद संख्या 16/2008 चल रहा है। उक्त वाद में रैस्पो. संख्या 1 ता 3 पक्षकार हैं। खाता संख्या 151/128 जिसमें मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 की कुल 2.250 हैक्टर मुश्तरका खाता की है। इस खाता में अपीलांटस व रैस्पो. संख्या 1 ता 3 खातेदार हैं परन्तु रैस्पो. संख्या 4 इस खाते में हिस्सेदार नहीं है। रैस्पो. संख्या 4 के अलावा अन्य दूसरे हिस्सेदार हैं। इस मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 10 अपीलांटस को बंटवारा में मिले व यह रकबा वाद लम्बित होने की सूरत में रैस्पो. संख्या 1 ता 3 को कोई कार्यवाही किसी किस्म की करने का अधिकार नहीं था लेकिन इनके द्वारा बिना अधिकार किला नम्बर 4 ता 7 का तबादला इस खाते के बाहर के खातेदार रैस्पो. संख्या 4 को देकर रैस्पो0 संख्या 4 से इसी खाता संख्या 83/74 के मुरब्बा नम्बर 2,6,51 में 1.265 हैक्टर भूमि ले ली व आदेश दिनाक 09.03.16 प्राप्त किया है वह विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने तबादले का आदेश पारित करने से पूर्व इस खाता 151/128 के अन्य खातेदारान जिनमें अपीलांटस भी हैं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा की जांच नहीं की। अपीलांटस के कब्जा की भूमि का तबादला बिमलादेवी करने के लिये सक्षम नहीं थी। अपील स्वीकार की जाकर तबादला नामा आदेश 09.03.2016 अपास्त फरमाया जावे।

अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पोडेंटस बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांटस का बहस में तर्क है कि चक 23 एफ के विभिन्न खातेजात के मुरब्बा नम्बर 20,22,23,28 की मुश्तरका भूमि है। मुरब्बा नम्बर 22 का मौजूदा खातासंख्या 151/128 है इस खाता में बहुत से हिस्सेदार हैं। इस मुश्तरका खाता के विभाजन में मु0नं0 22 के किला नम्बर 1 ता 10 अपीलांटस व अपीलांटस के पिता को विभाजन में मिल गया था जिसे अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिये वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के न्यायालय में वाद संख्या 16/2008 चल रहा है। उक्त वाद में रैस्पो. संख्या 1 ता 3 पक्षकार हैं। खाता संख्या 151/128 जिसमें मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 की कुल 2.250 हैक्टर मुश्तरका खाता की है। इस खाता में अपीलांटस व रैस्पो. संख्या 1 ता 3 खातेदार हैं परन्तु रैस्पो. संख्या 4 इस खाते में हिस्सेदार नहीं है। रैस्पो. संख्या 4 के अलावा अन्य दूसरे हिस्सेदार हैं। इस मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 10 अपीलांटस को बंटवारा में मिले व यह रकबा वाद लम्बित होने की सूरत में रैस्पो.संख्या 1 ता 3 को कोई कार्यवाही किसी किस्म की करने का अधिकार नहीं था लेकिन इनके द्वारा बिना अधिकार किला नम्बर 4 ता 7 का तबादला इस खाते के बाहर के खातेदार रैस्पो. संख्या 4 को देकर रैस्पो0 संख्या 4 से इसी खाता संख्या 83/74 के मुरब्बा नम्बर 2,6,51 में 1.265 हैक्टर भूमि ले ली व आदेश दिनाक 09.03.16 प्राप्त किया है वह विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने तबादले का आदेश पारित करने से पूर्व इस खाता 151/128 के अन्य खातेदारान जिनमें अपीलांटस भी हैं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा की जांच नहीं की। अपीलांटस के कब्जा की भूमि का तबादला बिमलादेवी करने के लिये सक्षम नहीं थी। अपील स्वीकार की जाकर तबादला नामा आदेश 09.03.2016 अपास्त फरमाया जावे।

चूँकि दोनो अपीलों की विषयवस्तु एक ही है पक्षकारान भी समान हैं अतः दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार केसरीसिंहपुर द्वारा दिनांक 09.03.2016 द्वारा विमला देवी पत्नी राम कुमार–घनश्याम, श्रवण कुमार पि0 राम कुमार उषा देवी पत्नी कालू राम जाति कुम्हार द्वारा आपसी विनिमय हेतु दिये गये सहमति पत्र के आधार पर भूमियों का खाता विनिमय स्वीकृत किया गया है व उक्त आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 951 दिनांक 17.03.2016 को तस्दीक किया गया है। भूमि विभाजन हेतु धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष विचाराधीन है। धारा 48 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार एक वर्ग के आसामी लिखित सहमति से विनिमय कर सकते हैं। समस्त खाता के विभाजन होने से पूर्व अन्य खाताधारियों की सहमति के बिना व दावा के लंबन के दौरान अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

अतः अपीलें अपीलांट स्वीकार की जाती है व उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.03.16 एवं उसके आधार पर खोला गया इन्तकाल संख्या 951 दिनांक 17.03.16 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर